DAINIK JAGRAN, Delhi, 2.6.2023
Page No. 9, Size:(3.14)cms X (5.65)cms.

एनएचआरसी ने रेलवे से चार सप्ताह में मांगी रिपोर्ट

रांची : धनबाद रेल मंडल में ओवरहेड रेलवे बिजली लाइन में काम के दौरान करंट लगने से छह ठेका मजदूरों की मौत मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मीडिया रिपोर्ट्स पर स्वत : संज्ञान लिया है। आयोग ने डीजीपी व रेलवे से चार सप्ताह के भीतर पूरी रिपोर्ट मांगी है। पूछा है कि किस स्तर पर लापरवाही हुई और प्राथमिकी दर्ज किए जाने से लेकर अब तक क्या कार्रवाई हुई है? दोषी चिह्नित किए गए हैं और क्या मजदूरों के आश्रितों को मुआवजा दिया गया है? (राब्)

DAINIK JAGRAN, Rastriya Sanskaran, 2.6.2023
Page No. 10, Size:(6.14)cms X (6.69)cms.

मानवाधिकार आयोग ने डीजीपी व रेलवे से चार सप्ताह में मांगी रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो, रांची

धनवाद रेल मंडल में ओवरहेड लाइन से छह मजदूरों की करंट लगने से मौत का मामला

धनबाद रेल मंडल में ओवरहेड रेलवे बिजली लाइन में काम के दौरान करंट लगने से छह ठेका मजदूरों की मौत मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मीडिया रिपोर्ट्स पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने डीजीपी व रेलवे से चार सप्ताह के भीतर पूरी रिपोर्ट मांगी है। पूछा है कि किस स्तर पर लापरवाही हुई और प्राथमिकी दर्ज किए जाने से लेकर अब तक क्या कार्रवाई हुई है? दोषी चिह्नित किए गए हैं और क्या मजदूरों के आश्रितों को मुआवजा दिया गया है? इन सभी बातों को अधिकारी अपनी रिपोर्ट में दर्ज करें और उससे एनएचआरसी को अवगत कराएं।

घटना 29 मई की है। धनबाद रेल मंडल में धनबाद-गया खंड पर नीचितपुर रेलवे क्रासिंग के पास ओवरहेड रेलवे पावर लाइन में ट्रस पोल स्थापित करते समय छह मजदूरों को करंट लग गयी थी।

यह स्पष्ट हो रहा है कि ठेकेदार ने काम शुरू करने से पहले बिजली आपूर्ति अवरुद्ध करने संबंधित कोई कदम नहीं उठाया था। यह मजदूरों के मानवाधिकारों का उल्लंघन है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रेल विद्युत निगम लिमिटेड के ठेका मजदूर पोल लगा रहे थे। एक पोल उनके हाथ से फिसल गया और 25 केवीए के ओवरहेड तार को छू गया, जिसके परिणामस्वरूप पोल पकड़े छह मजदूरों की झुलसकर मौत हो गई थी।

NHRC, World Vision team up to stop violence against children

https://www.tbsnews.net/economy/corporates/nhrc-world-vision-team-stop-violence-against-children-642170

World Vision, an international development agency dedicated to child welfare, and the National Human Rights Commission (NHRC) have signed a memorandum of understanding to end all forms of violence against children and build a country free of child marriage.

A MoU signing ceremony was held on 1 June with National Human Rights Commission Kamal Uddin Ahmed in the chair.

Under this MoU, the organizations will work together for strengthening child marriage monitoring system based on Government's National Action Plan 2018-2030 and prevent violence against children and child marriage nationwide.

They will work to make Child Marriage Prevention Committees fully operational at the local level.

Alternative livelihood opportunities will be created for families prone to child marriage.

It also aim to establish village-union-mahalla free from child marriage.

They will work for formulating rules in the light of the Children Act- 2013 and ensure effective implementation of the Government's National Action Plan 2018-2030 to end child marriage.

Also, they will work to establish separate Directorate for Children etc to ensure child rights and protection and holistic development.

Full time member of the commission Md. Salim Reza, secretary Narayan Chandra Sarkar spoke.

The event was attended by Country Director Suresh Barlett, Senior Director-Operations, Chandan Z Gomez on behalf of World Vision Bangladesh. Apart from that, officials and representatives of World Vision Bangladesh and National Human Rights Commission at various levels were also present. Nishat Sultana, Deputy Director (Advocacy) of World Vision Bangladesh moderated the event.

RASHTRIYA SAHARA, Delhi, 2.6.2023
Page No. 7, Size:(2.79)cms X (3.27)cms.

करंट लगने से मौत पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को नोटिस

नई दिल्ली (एसएनबी)। धनबाद-गया रेलवे लाइन पर बिजली के खम्भे लगा रहे छह मजदूरों की करंट लगने से मौत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और झारखंड के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। रेल विद्युत निगम लिमिटेड ठेके पर मजदूरों से काम करा रहा था। आयोग का कहना है कि बिजली की सप्लाई रोके बिना पोल लगाने का काम चल रहा था। एक पोल हाथ से फिसल गया और 25 केवी की ओवरहेड तार से टकरा गया। उस समय छह मजदूर पोल उठाए हुए थे।

National Human Rights and Crime Control Bureau urges appointment of AHRC chairperson

https://www.sentinelassam.com/north-east-india-news/assam-news/national-human-rights-and-crime-control-bureau-urges-appointment-of-ahrc-chairperson-651926

The role of the State Human Rights Commission, Assam in providing the necessary leadership and guidance to provide social justice to the people of Assam as well as to protect the fundamental rights is immense.

JAMUGURIHAT: The role of the State Human Rights Commission, Assam in providing the necessary leadership and guidance to provide social justice to the people of Assam as well as to protect the fundamental rights is immense.The National Human Rights and Crime Control Bureau (NHRCCB), Assam has expressed concern over the non-appointment of the chairperson as well as the full body, who are the main enablers of protecting human rights.

The state chairman of NHRCCB, Nishant Thard, in a statement sent through State Media Officer Mrinmay Kumar Nath residing in Jamugurihat, said that the organization has written a letter to the Chief Justice of the Gauhati High Court seeking necessary step in this regard. The NHRCCB, Assam in the press release said that when the organization decided to contact the chairperson of the Assam Human Rights Commission (AHRC) to attend its state convention held recently in Guwahati as the chief guest, it was confirmed that the Commission is running without the chairperson and its full body at present.

Nishant Thard, chairman of the NHRCCB, expressed surprise when he came to know about the matter. Without a permanent chairperson, how have the Assam State Human Rights Commission’s actions been implemented? Thard raises an important question. He also mentioned that the appointment of a chairperson and constitution of the full body is necessary not only for the smooth functioning of the Commission but also to rectify the current situation. So, it is considered very important to take immediate action in this regard.

The National Human Rights and Criminal Control Bureau has urged the Chief Justice of the Gauhati High Court to take appropriate measures to ensure the early appointment of a suitable person in the respected post along with the full body of the Commission.

The NHRCCB feels that the absence of the chairman and non-formation of the full body severely hampers the Commission's ability to carry out its orders with efficiency, which is a noticeable aspect of the Assam Human Rights Commission. This will not only erode the credibility of the Commission but also deprive the victims of access to justice. The appointment of a Chairperson and formation of its body will not only protect the rights of the people of Assam but will also be considered as an appropriate mechanism for restoring the integrity and functioning of the Assam State Human Rights Commission.

NHRC notice to Railways, J'khand police chief over death of 6 labourers

https://www.millenniumpost.in/nation/nhrc-notice-to-railways-jkhand-police-chief-over-death-of-6-labourers-520685?infinitescroll=1

New Delhi: The NHRC has issued a notice to the railways and the police chief of Jharkhand over electrocution of six contract labourers while they were installing a truss pole to support the overhead railway power lines in Dhanbad rail division, officials said on Thursday. Apparently, the incident, which took place on May 29, amounts to "contributory negligence" of the public servant who "failed to supervise the work of the contractor effectively", and therefore, it is a matter of concern for the Commission, the rights panel said in a statement. The NHRC said it has taken suo motu cognisance of a media report that six contract labourers were electrocuted while installing a truss pole to support the overhead railway power line.

NAVODYA TIMES, Delhi, 2.6.2023
Page No. 2, Size:(21.87)cms X (30.94)cms.

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को नोटिस

नई दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने धनबाद रेल मंडल में रेलवे की ओवरहेड बिजली लाइन के लिए खंभे लगाने के दौरान ठेके पर रखे गए छह मजदूरों की करंट लगने से मौत के मामले में सख्त नोटिस लिया है। साथ ही रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और झारखंड के पुलिस प्रमुख को नोटिस भेजा है। आयोग ने एक बयान में कहा कि 29 मई को हुई घटना लोक सेवक की लापरवाही के समान है, जो ठेकेदार के काम की प्रभावी ढंग से निगरानी करने में विफल रहे हैं और यह आयोग के लिए चिंता का मामला है। आयोग ने कहा कि उसने मीडिया में आई खबर का स्वत: संज्ञान लिया है।

HINDUSTAN, Dhanbad, 2.6.2023
Page No. 5, Size:(5.90)cms X (7.25)cms.

रेलवे और डीजीपी को भेजा एनएचआरसी ने नोटिस

निचितपुर हादसा

- पोल लगाने में 6 मजदूरों की मौत का मामला
- एनएचआरसी ने लिया स्वतः संज्ञान

धनबाद/नई दिल्ली। एनएचआरसी ने रेलवे और झारखंड के पुलिस प्रमुख को नोटिस जारी किया है। नोटिस में चार सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। 30 मई को छह ठेका मजदूरों की तेतुलमारी-निचितपुर रेलखंड पर झारखोर के पास एक ट्रस पोल लगाने के दौरान करंट से मौत हो गई थी।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कहा कि उसने एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेने के बाद नोटिस जारी किया है। आयोग ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और झारखंड के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर की स्थिति, ठेकेदार और उसके ठेकेदार की लापरवाही के खिलाफ की गई कार्रवाई के साथ-साथ मृतक के परिजनों को दी गई क्षतिपूर्ति की जानकारी भी मांगी है। अधिकार पैनल ने कहा कि आयोग यह भी जानना चाहेगा कि इस दुखद घटना के लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है।

NAI DUNIYA, Gwalior, 2.6.2023
Page No. 11, Size:(21.87)cms X (30.94)cms.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने डीजीपी व रेलवे से चार सप्ताह में मांगी रिपोर्ट

रांची (ब्यूरो)। धनबाद रेल मंडल में ओवरहेड रेलवे बिजली लाइन में काम के दौरान करंट लगने से छह ठेका मजदूरों की मौत मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मीडिया रिपोर्ट्स पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने डीजीपी व रेलवे से चार सप्ताह के भीतर पूरी रिपोर्ट मांगी है। पूछा है कि किस स्तर पर लापरवाही हुई और प्राथमिकी दर्ज किए जाने से लेकर अब तक क्या कार्रवाई हुई है? दोषी चिह्नित किए गए हैं और क्या मजदूरों के आश्रितों को मुआवजा दिया गया है? इन सभी बातों को अधिकारी अपनी रिपोर्ट में दर्ज करें और उससे एनएचआरसी को अवगत कराएं।

घटना 29 मई की है। धनबाद रेल मंडल में धनबाद-गया खंड पर नीचितपुर रेलवे क्रासिंग के पास ओवरहेड रेलवे पावर लाइन में ट्रस पोल स्थापित करते समय छह ठेका मजदूरों को करंट लग गयी थी। यह स्पष्ट हो रहा है कि ठेकेदार ने काम शुरू करने से पहले बिजली आपूर्ति अवरुद्ध करने संबंधित कोई कदम नहीं उठाया था। यह मजदूरों के मानवाधिकारों का उल्लंघन है।

HINDUSTAN, Ranchi, 2.6.2023
Page No. 5, Size:(5.89)cms X (7.66)cms.

रेलवे और झारखंड पुलिस प्रमुख को नोटिस जारी

रांची/नई दिल्ली, एजेंसी। एनएचआरसी ने रेलवे व झारखंड के पुलिस प्रमुख को नोटिस जारी किया है। नोटिस में चार सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। 30 मई को छह ठेका मजदूरों की धनबाद रेल मंडल में एक ट्रस पोल लगाने के दौरान करंट से मौत हो गई थी।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कहा कि उसने एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेने के बाद नोटिस जारी किया है। आयोग ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और झारखंड के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर की स्थिति, ठेकेदार व उसकी लापरवाही के खिलाफ की गई कार्रवाई के साथ मृतक के परिजनों को दी गई क्षतिपूर्ति की जानकारी भी मांगी है। अधिकार पैनल ने कहा कि आयोग यह भी जानना चाहेगा कि इस दुखद घटना के लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ उनकी 'पर्यवेक्षी चूक' के लिए क्या कार्रवाई की गई है।

फंस सकती है एसएम और गेटमैन की गर्दन

रांची/धनबाद। झारखोर स्थित 7 नंबर गेट के पास ओवरहेड तार के करंट की चपेट में आकर मारे गए छह ठेका मजदूरों की मौत मामले में निचितपुर के ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर और सात नंबर लेवल क्रासिंग के गेटमैन की गर्दन फंस सकती है। पूर्व मध्य रेलवे से पहुंची विशेष टीम की जांच में दोनों की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए हैं।

MILLENNIUM POST, Delhi, 2.6.2023
Page No. 5, Size:(14.43)cms X (10.06)cms.

NHRC notice to Railways, J'khand police chief over death of 6 labourers

NEW DELHI: The NHRC has issued a notice to the railways and the police chief of Jharkhand over electrocution of six contract labourers while they were installing a truss pole to support the overhead railway power lines in Dhanbad rail division, officials said on Thursday. Apparently, the incident, which took place on May 29, amounts to "contributory negligence" of the public servant who "failed to supervise the work of the contractor effectively", and therefore, it is a matter of concern for the Commission, the rights panel said in a statement. The NHRC said it has taken suo motu cognisance of a media report that six contract labourers were electrocuted while installing a truss pole to support the overhead railway power line. AGENCIES

DAINIK JAGRAN, Ranchi, 2.6.2023
Page No. 12, Size:(8.18)cms X (9.88)cms.

मानवाधिकार आयोग ने डीजीपी व रेलवे से मांगी घटना की रिपोर्ट

छह मजदूरों की करंट से मौत मामले में लिया स्वत : संज्ञान

राज्य ब्यूरो, रांची : धनबाद रेल मंडल में ओवरहेड रेलवे बिजली लाइन में काम के दौरान करंट लगने से छह ठेका मजदूरों की मौत मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मीडिया रिपोर्ट्स पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने डीजीपी व रेलवे से चार सप्ताह के भीतर पूरी रिपोर्ट मांगी है। पूछा है कि किस स्तर पर लापरवाही हुई और प्राथमिकी दर्ज किए जाने से लेकर अब तक क्या कार्रवाई हुई है? दोषी चिह्नित किए गए हैं और क्या मजदूरों के आश्रितों को मुआवजा दिया गया है? इन सभी बातों को अधिकारी अपनी रिपोर्ट में दर्ज करें और उससे एनएचआरसी को अवगत कराएं।

घटना 29 मई की है। धनबाद रेल मंडल में धनबाद-गया खंड पर नीचितपुर रेलवे क्रासिंग के पास ओवरहेड रेलवे पावर लाइन में ट्रस पोल स्थापित करते समय छह ठेका मजदूरों को करंट लग गयी थी। यह स्पष्ट हो रहा है कि ठेकेदार ने काम शुरू करने से पहले बिजली आपूर्ति अवरुद्ध करने संबंधित कोई कदम नहीं उठाया था। यह मजदूरों के मानवाधिकारों का उल्लंघन है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रेल विद्युत निगम लिमिटेड के ठेका मजदूर पोल लगा रहे थे। एक पोल उनके हाथ से फिसल गया और 25 केवीए के ओवरहेड तार को छू गया, जिसके परिणामस्वरूप पोल पकड़े छह मजदूरों की झुलसकर मौत हो गई थी।

करंट से 6 की मौत मामले में जांच पूरी, जीएम को सौंपी जाएगी रिपोर्ट

जासं, धनबाद : धनबाद-गोमो रेल मार्ग के निचितपुर रेल फाटक के पास पोल में हाइवोल्टेज करंट दौड़ने से साइट सुपरवाइजर समेत छह की मौत मामले की जांच करने धनबाद आयी पूर्व मध्य रेल मुख्यालय की टीम ने दूसरे दिन भी डीआरएम कार्यालय के सभागार में कर्मचारियों से पूछताछ की। जोनल जांच कमेटी में शामिल मुख्य इलेक्ट्रिकल लोको इंजीनियर अमरेंद्र कुमार, सीएसई (चीफ सुपरिटेंडिंग इंजीनियर) आरएल यादव के साथ मुख्य सुरक्षा आयुक्त और उप मुख्य संरक्षा अधिकारी ट्रैफिक की मौजूदगी में सोमवार को हुई घटना के बाद जिन विभागों ने ज्वाइंट रिपोर्ट तैयार की थी, उन सभी से पूछताछ की गई। टीआरडी इंचार्ज व कर्मचारी, आरपीएफ और आरवीएनएल (रेल विकास निगम लिमिटेड) के सीनियर सुपरवाइजर से भी पूछताछ की गई। मुख्यालय से आए अधिकारी धनबाद रेल मंडल के अधिकारी और आरवीएनएल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी हुई। विस्तृत जांच रिपोर्ट पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक को सौंपी जाएगी। धनबाद के डीआरएम कमल किशोर सिन्हा ने कहा है कि मुख्यालय स्तर पर हुई दो दिनों की जांच पूरी हो गई है। जांच रिपोर्ट के आधार मुख्यालय के निर्देश पर ही कार्रवाई हो सकेगी।

PRABHAT KHABAR, Dhanbad, 2.6.2023
Page No. 1, Size:(21.87)cms X (30.94)cms.

करंट हादसे पर एनएचआरसी ने लिया स्वतः संज्ञान

छह मजदूरों की मौत पर रेलवे व झारखंड पुलिस प्रमुख को भेजा नोटिस

एजेंसियां, नयी दिल्ली

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने धनबाद रेल मंडल में धनबाद-गोमो के बीच झारखोर मे रेलवे की 'ओवरहेड बिजली' लाइन के लिए खंभे लगाने के दौरान ठेके पर रखे गए छह मजदूरों की करंट लगने से मौत के मामले में रेलवे और झारखंड के पुलिस प्रमुख को नोटिस भेजा है.

आयोग ने एक बयान में कहा कि 29 मई को हुई घटना लोक सेवक की लापरवाही के समान है, जो ठेकेदार के काम की प्रभावी ढंग से निगरानी करने में विफल' रहे हैं और यह आयोग के लिए चिंता का मामला है.

आयोग ने कहा कि उसने मीडिया में आई खबर का स्वतः संज्ञान लिया है जिसमें कहा गया है कि धनबाद रेल मंडल के धनबाद-गया खंड पर निचितपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास 'ओवरहेड बिजली' लाइन के लिए खंभे लगाने के दौरान ठेके पर रखे गए छह मजदूरों की करंट लगने से मौत हो गयी.

आयोग ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट की सामग्री अगर सच है, तो यह मजदूरों के मानवाधिकारों के उल्लंघन के समान है.

बयान में कहा गया है कि इसने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और झारखंड के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर उनसे चार सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.

फाइल फोटो

पूर्व मध्य रेलवे ने मांगी सुरक्षा मानक पर रिपोर्ट

धनबाद. पूर्व मध्य रेल ने धनबाद रेल मंडल में चल रही सारी योजनाओं की स्थिति और सुरक्षा मानक पर रिपोर्ट मांगी है. साथ ही धनबाद रेल मंडल को निर्देश दिया गया है कि जो भी काम चल रहा है, उसमे सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन हो. मुख्यालय से जांच करने पहुंची टीम ने धनबाद मंडल की टीम को पूरी जांच रिपोर्ट तैयार कर शुक्रवार तक मुख्यालय भेजने का निर्देश दिया है. दूसरी तरफ घटना के बाद रेलवे का जहां भी काम चल रहा है, सभी को सुरक्षा के साथ काम करने का अलग से निर्देश दिया गया है. साथ ही काम की मॉनीटरिंग चल रही है.

HINDUSTAN TIMES, Rajasthan, 2.6.2023
Page No. 3, Size:(7.58)cms X (15.80)cms.

NHRC seeks report on 'failure' to give aid to silicosis widows

Dinesh Bothra
letters@hindustantimes.com

JODHPUR: The National Human Rights Commission (NHRC) has sought a comprehensive report from the Jodhpur district collector and magistrate regarding the alleged failure to provide financial assistance to the widows of two mine workers who succumbed to silicosis.

The Mine Labour Protection Campaign Trust (MLPC) filed a complaint with the National Commission, prompting the inquiry. The first complaint pertains to Ganga Ram, son of Kishna Ram, who worked in sandstone mines in Jodhpur. Ganga Ram was diagnosed with silicosis and was admitted to K.N. Chest Hospital on April 19, 2011. Unfortunately, he passed away on May 10, 2018. The widow, Pepi Devi, claims she has not received any monetary relief.

The second complaint involves Magaram, son of Saka Ram, who also worked in sandstone mines in Jodhpur. Magaram was diagnosed with silicosis and was admitted to K.N. Chest Hospital on February 3, 2011. Tragically, he passed away on February 28, 2011. The widow, Dhai, alleges she hasn't received any financial assistance.

On March 31, 2023, the NHRC requested an additional report from the District Magistrate of Jodhpur, Rajasthan. However, they have only received an old report, dated April 29, 2022, from the Jodhpur collector.

THE MINE LABOUR PROTECTION CAMPAIGN TRUST HAS FILED A COMPLAINT WITH THE COMMISSION, PROMPTING AN INQUIRY

"It sees no reason why beneficial delegated legislation should not have retrospective effect. Consequently, the District Magistrate of Jodhpur has been directed to consider the matter and submit an additional report within four weeks. Copies of all previous proceedings and communications have been sent to the District Magistrate for information and necessary action," the Commission stated in notices. "The NHRC has received numerous complaints from silicosis victims and Next of Kin of deceased workers in several states, including Gujarat, Haryana, Madhya Pradesh, West Bengal, Rajasthan, and Jharkhand. These complaints allege that the State Governments have failed to provide monetary compensation," the NHRC noted.

The NHRC has directed the Registry to seek a comprehensive report from the Collector cum District Magistrate of Jodhpur within four weeks. Failure to comply may result in the Commission resorting to coercive measures under Section 13 of the PHR Act, 1993.

HINDU, Mumbai, 2.6.2023
Page No. 9, Size:(4.34)cms X (4.92)cms.

NHRC notice to Jharkhand, Railways over workers' deaths

The National Human Rights Commission (NHRC) on Thursday issued a notice to the Chairman, Railway Board, and the Director-General of Police, Jharkhand over the incident of electrocution of six contractual labourers on duty. The deceased came in contact with electricity while installing a truss pole to support the overhead railway power line near Nichitpur railway crossing, on the Dhanbad-Gaya section, on May 29. It is alleged that the contractor had not taken steps to get the power supply blocked before starting the work. It has sought a detailed report in the matter within four weeks which should include the status of the FIR registered by the police and the action taken against the the contractor as well as his supervisor.

PRABHAT KHABAR, Ranchi, 2.6.2023
Page No. 2, Size:(21.87)cms X (30.94)cms.

एनएचआरसी ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष व डीजीपी को नोटिस भेजा

रांची/नयी दिल्ली. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने धनबाद में छह मजदूरों की करंट लगने से मौत के मामले में रेलवे व झारखंड के पुलिस प्रमुख को नोटिस भेजा है. आयोग ने बयान में कहा कि 29 मई को हुई घटना लोक सेवक की लापरवाही के समान है और यह चिंता का मामला है. आयोग ने कहा कि उसने मीडिया में आयी खबर पर स्वतः संज्ञान लिया है. मालूम हो कि धनबाद के निचितपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास 'ओवरहेड बिजली' लाइन के लिए खंभे लगाने के दौरान ठेके पर रखे गये छह मजदूरों की करंट लगने से मौत हो गयी थी. आयोग ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट की सामग्री अगर सच है, तो यह मजदूरों के मानवाधिकार उल्लंघन के समान है. रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष व झारखंड के डीजीपी से चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी गयी है.

DAINIK JAGRAN, Dhanbad, 2.6.2023
Page No. 5, Size:(7.61)cms X (22.09)cms.

करंट से मौत मामला में आयोग ने मांगी रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो, रांची : धनबाद रेल मंडल में ओवरहेड रेलवे बिजली लाइन में काम के दौरान करंट लगने से छह ठेका मजदूरों की मौत मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मीडिया रिपोर्ट्स पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने डीजीपी व रेलवे से चार सप्ताह के भीतर पूरी रिपोर्ट मांगी है। पूछा है कि किस स्तर पर लापरवाही हुई और प्राथमिकी दर्ज किए जाने से लेकर अब तक क्या कार्रवाई हुई है? दोषी चिह्नित किए गए हैं और क्या मजदूरों के आश्रितों को मुआवजा दिया गया है? इन सभी बातों को अधिकारी अपनी रिपोर्ट में दर्ज करें और उससे एनएचआरसी को अवगत कराएं।

घटना 29 मई की है। धनबाद रेल मंडल में धनबाद-गया खंड पर नीचितपुर रेलवे क्रासिंग के पास ओवरहेड रेलवे पावर लाइन में ट्रस पोल स्थापित करते समय छह ठेका मजदूरों को करंट लग गयी थी। यह स्पष्ट हो रहा है कि ठेकेदार ने काम शुरू करने से पहले बिजली आपूर्ति अवरुद्ध करने संबंधित कोई कदम नहीं उठाया था। यह मजदूरों के मानवाधिकारों का उल्लंघन है।

NHRC: एनएचआरसी ने रेलवे और झारखंड पुलिस प्रमुख को नोटिस भेजा, छह मजदूरों की मौत का मामला

https://www.amarujala.com/jharkhand/nhrc-sent-notice-to-railway-and-jharkhand-police-chief-case-of-death-of-six-laborers-2023-06-01

एनएचआरसी ने एक बयान में कहा कि 29 मई को हुई घटना लोक सेवक की लापरवाही के समान है, जो ठेकेदार के काम की प्रभावी ढंग से निगरानी करने में विफल रहे हैं। यह आयोग के लिए चिंता का मामला है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने रेलवे और झारखंड के पुलिस प्रमुख को नोटिस भेजा है। नोटिस धनबाद रेल मंडल में रेलवे की 'ओवरहेड बिजली' लाइन के लिए खंभे लगाने के दौरान ठेके पर रखे गए छह मजदूरों की करंट लगने से मौत के मामले में भेजा गया। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और झारखंड के पुलिस महानिदेशक से चार सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।

एनएचआरसी ने एक बयान में कहा कि 29 मई को हुई घटना लोक सेवक की लापरवाही के समान है, जो ठेकेदार के काम की प्रभावी ढंग से निगरानी करने में विफल रहे हैं। यह आयोग के लिए चिंता का मामला है। आयोग ने कहा कि उसने मीडिया में आई खबर का स्वत: संज्ञान लिया है।

खबरों में बताया गया है कि धनबाद रेल मंडल के धनबाद-गया खंड पर निचितपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास ओवरहेड बिजली लाइन के लिए खंभे लगाने के दौरान ठेके पर रखे गए छह मजदूरों की करंट लगने से मौत हो गई। आयोग के मुताबिक, मीडिया रिपोर्ट अगर सच है, तो यह मजदूरों के मानवाधिकारों के उल्लंघन के समान है।

इससे पहले 29 मई को ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे डिविजन में ओवरहेड इलेक्ट्रिक खंभे लगाने के दौरान लगे बिजली के झटके से छह लोगों की मौत हो गई थी। घटना ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के धनबाद डिविजन के निचितपुर रेलवे क्रॉसिंग की थी। कुछ कर्मचारी रेलवे के ओवरहेड इलेक्ट्रिक खंभे लगा रहे थे। इसी दौरान हाइटेंशन लाइन की चपेट में आ गए। हादसे में कुछ लोग घायल भी हुए थे। पीएम ने घटना पर दुख जताते हुए घायलों और मृतकों के लिए मुआवजे का एलान किया था।